बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना–15, दिनांक–**20.06.2018**

संख्या-14/प्रो० 119/2016–**8220** सा०प्र०–बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे–बैंड ₹ 15,600– 39,100/– ग्रेड पे ₹ 7,600/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–12) के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं0–4800 दिनांक–1.04.2016 के आलोक में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,700/– पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल- 13) में कॉलम–4 में अंकित तिथि के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वैचारिक प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	मो0 अब्दुल रज्जाक	566	30.03.2017	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा। (अपर समाहर्ता स्तर में उत्क्रमित)
2	श्री इम्तियाज अहमद करीमी	571	30.03.2017	निदेशक, उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना । (अपने वेतनमान में)

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी ।

3. उपर्युक्त क्रमांक–1 पर अंकित पदाधिकारी द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये एवं क्रमांक–2 पर अंकित पदाधिकारी को अपने वेतनमान में उन्हें अपने नाम के सामने कॉलम–5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
20/6/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०–**8220**/ पटना–15,दिनांक–**20.06.2018**

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, परिवहन विभाग बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/18
सरकार के संयुक्त सचिव।